# भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक: 2947-49/20 दिनांक 13/11/20

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की 10 बैठक दिनांक 12.11.2020 का

## कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की 10 बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2020 को 02.00 बजे बीडा कार्यालय मे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री पूर्णा राम बेनीवाल | वरि० नगर नियोजक, बीडा भिवाडी | सदस्य सचिव |
| 2. | श्री विकास मीणा | सहा० अभियन्ता, बीडा भिवाडी | सदस्य |
| 3 | श्री रतन लाल | का० तहसीलदार/भू–अ० निरीक्षक बीडा भिवाडी | सदस्य |

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणो पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तद्उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| बैठक | 10 |
| प्रकरण का प्रकार | ले–आउट प्लान/साईट प्लान अनुमोदन हेतु |
| दिनांक | 12.11.2020 |
| एजेण्डा | 01 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | विषय | मै0 निर्माण बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय ए–57, सनसिटी रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0 जरिये पार्टनर श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हवासिंह निवासी ए–57, सनसिटी रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0 द्वारा ग्राम बटाना तह0 नीमराना जिला अलवर के ख0न0 440 कुल किता 01 कुल रकबा 0.63 है0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए अधीन साईट प्लान अनुमोदन बाबत। |
| 2 | आवेदक का नाम | मै0 निर्माण बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय ए–57, सनसिटी रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0 जरिये पार्टनर श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हवासिंह निवासी ए–57, सनसिटी रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0 |
| 3 | भूखण्ड का क्षेत्रफल | 6300 वर्ग मी0 |
| 4 | भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई | 60 मी0 (एन.एच. 48 से घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली) |
| 5 | भूखण्ड का उपयोग | आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना ) |
| 6 | स्वामित्व रिपोर्ट | 01. निजी खातेदार मै0 निर्माण बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय ए–57, सनसिटी रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0 जरिये पार्टनर श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हवासिंह निवासी ए–57, सनसिटी रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0 द्वारा ग्राम बटाना तह0 नीमराना जिला अलवर के ख0न0 440 कुल किता 01 कुल रकबा 0.63 है0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए प्रयोजनार्था राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2020 को पारित किये जा चुके है इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90–ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में बीडा भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है। |
| 7 | मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग | एस.एन.बी मास्टर प्लान 2041 के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग आवासीय हेतु प्रस्तावित है। |
| 8 | प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु | 01. पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 6300.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 6132.71 वर्ग मी0 प्राप्त होता है।<br>02. आवेदित भूमि एन.एच 48 से औघोगिक क्षेत्र घिलोट को जोडने वाली सडक पर स्थित है। जिसका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 मीटर प्रस्तावित है। जो रीको द्वारा निर्मित है अतः विचारार्थ।<br>03. आवेदित भूमि में से 132 केवी की विद्युत लाईन गुजर रही है। जिससे सुरक्षादूरी छोडनी होगी जिसके नीचे कोई निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। इस बाबत् आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किये जाने बाबत विचारार्थ।<br>04. आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी0 से कम होने पर आवेदित भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। नियमानुसार राशि प्राप्त करने बाबत विचारार्थ। |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | 05. भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को आवंटन/रूपान्तरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। किन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवंटन की समस्त क्षेत्रफल की शक्तियॉ स्थानीय समिति को ही है। अतः विचारार्थ। |

निर्णयः– समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का साईट प्लान/ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः–

01. आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय है मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं प्रधान मंत्री जन आवास योजना के तहत गरीबों के लिये (EWS/LIG) आवास उपलब्ध कराये जाते है। अतः व्यापक जन हित में परियोजना को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्वीकृत किया जाता है।
02. आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 6300.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 6132.71 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। आवेदित भूमि एन.एच 48 से औघोगिक क्षेत्र घिलोट को जोडने वाली सडक पर स्थित है। जिसका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 है। 6132.71 वर्ग मी0 भूमि आवंटन योग्य है जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
03. आवेदित भूमि में से 132 केवी की विद्युत लाईन गुजर रही है। जिससे सुरक्षादूरी छोडनी होगी जिसके नीचे कोई निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। इस बाबत् आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावें।
04. आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी0 से कम होने पर आवंदित भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। आवेदक द्वारा सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है। नियमानुसार राशि प्राप्त की जावें।
05. भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को आवंटन/रूपान्तरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। किन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवंटन की समस्त क्षेत्रफल की शक्तियॉ स्थानीय समिति को ही है। अतः तदानुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
06. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत जारी समस्त गाईड लाईन्स/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

| श्री विकास मीणा<br>सहा0 अभियन्ता<br>(सदस्य) | रतन लाल 12/11/2020<br>का0 तहसीलदार/भू0अ0 निरीक्षक<br>(सदस्य) | श्री पूर्ण राम बेनीवाल 12/11<br>वरि0 नगर नियोजक<br>(सदस्य सचिव) | श्री नीलाभ सक्सेना 12/11/2...<br>मुख्य कार्यकारी अधिकारी<br>(अध्यक्ष) |
|---|---|---|---|



Scanned with CamScanner